न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :—28 / 2025
GCMS NO:- 2025/198

दायर दिनांकः 04.07.2025
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

1. शोजीलाल आ0 कल्याण जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
2. रूकमा पत्नी चतुर्भूज जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
3. प्रभूलाल आ0 कजोड जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
4. मोरपाल आ0 चतरा जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
5. रामलाल आ0 चतरा जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
6. विनोद आ0 हरपाल जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
7. शोजीलाल आ0 कल्याण जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
8. सीताराम आ0 चतरा जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
9. अम्बालाल आ0 कजोड जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
10. बाबूलाल आ0 मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
11. रामस्वरूप आ0 मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
12. मोहनलाल आ0 मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
13. हंसा आ0 मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
14. उत्तम आ0 मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
15. रामकन्या पत्नी मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
16. आशा पुत्री मोती जाति माली नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।

— प्रार्थीगण—

बनाम

1. बाबूलाल आ0 बद्रीलाल जाति ब्राह्मण नि0 सूंसा वाले हाल नि0 इन्द्रगढ पैट्रोल पम्प के सामने श्रीराम चौराहा के पास इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ।
2. सूरजमल आ0 रामगोपाल जाति ब्राह्मण नि0 करवर तहसील नैनवॉ।
3. दुर्गाशंकर आ0 रामगोपाल जाति ब्राह्मण नि0 सूंसा तहसील नैनवॉ।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति—
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रूकमणी मीणा।
अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल गुर्जर।

निर्णय दिनांक 07.10.2025

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सूंसा तहसील नैनवॉ मे प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 रकबा 1.1245 हैक्टयर भूमि स्थित है तथा खसरा नम्बर 839 केवल शोजीलाल व रूकमणी के खाते की है। खसरा नम्बर 1241/838 के खातेदार कैलाशी की मृत्यु हो गई है। उसके भाई खातेदार रामलाल, सीताराम व मोरपाल के खाते मे उसकी भूमि कैलाशी की मृत्यु पर मर्ज हो चुकी है तथा खातेदार मोती की भी मृत्यु हो गयी है। उसके पुत्र बाबूलाल, रामस्वरूप, मोहनलाल, हंसा, उत्तम, आशा व मोती की पत्नी रामकन्या को प्रार्थीगण बनाया गया है। मौके पर जमीन शोजीलाल, रूकमा की खेती काश्त मे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 की आराजी पर आने जाने का रास्ता नही है जिससे खसरा नम्बर 1241/838 व 839 पर आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 857/1085 मे उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व मे मेर के सहारे होकर रास्ता दिया जावे। साथ ही मिसल संख्या 271/22 को तलब कर उसको इस पत्रावली के साथ मर्ज करने का भी प्रार्थना पत्र पेश कर जैरकार मिसल के साथ शामिल कर निर्णय करने हेतु इस आशय के साथ पेश किया कि पूर्व मे हुए निर्णय से रास्ते की राशि जमा हो चुकी थी जिससे उक्त पत्रावली को साथ मे लेकर इस पत्रावली मे निर्णय फरमाने हेतु भी निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल गुर्जर द्वारा दिनांक 29.09.2025 को वकालातनामा एवं जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर बहस हेतु अवसर चाहा गया।

आज दिनांक 07.10.2025 को बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सूंसा मे स्थित प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 व 839 पर आने जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है तथा प्रार्थी संख्या 1 शोजीलाल द्वारा पूर्व मे 22.10.2019 को धारा 251क का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा सूनवाई की जाकर तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट जिसमे प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नही होने से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 व 839 पर जाने के लिए खसरा संख्या 857/1085 मे से रास्ता दिया जाने के लिए दिनांक 23.11.2021 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना मे प्रार्थी द्वारा प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय मे जमा करवा दी गयी लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपील संख्या 2022/80 से अपील पेश की गयी जिसमे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2022 को इस आशय निर्णय पारित किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलाण्टगण को सूनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उक्त क्रम मे माननीय न्यायालय मे पुनः पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर सुनवाई की गयी लेकिन प्रार्थी संख्या 1 शोजीलाल स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई शामलाती खातेदार पक्षकार नही होने से माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2025 को इस आशय से पत्रावली खारिज कर दी गयी कि प्रार्थी शोजीलाल द्वारा जिस भूमि खसरा संख्या 1241/838 व 839 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती भूमि है तथा बिना विधिक विभाजन पत्रावली मे रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। उक्त निर्णय दिनांक 27.05.2025 के क्रम मे भूमि खसरा नम्बर 1241/838 व 839 के सभी खातेदारान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251क के तहत् पेश किया गया है जिसमे अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश हो चुका है अतः माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि पत्रावली मे निर्णय पारित कर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 1241/838 व 839 पर जाने के लिए तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा पूर्व पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट दिनांक 23.11.2021 अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे जिससे प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे जो राशि जमा करवायी गयी थी, जाया नही जावे। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे आने जाने हेतु प्रार्थी के पास पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, जो वर्तमान मे चालू है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य पेश कर न्यायालय से रास्ता कायम करने की मांग की है, जो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि से होकर चाहा गया है, सर्वथा गलत है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 16 को अपनी मर्जी से पक्षकार बनाया है जबकि प्रार्थीगण 2 लगायत 16 को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है और ना ही प्रार्थीगण 2 लगायत 16 न्यायालय मे उपस्थित हुए है। अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से तंग एवं परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। साथ ही विशेष आपत्ती अनुसार निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र के सही न्याय निर्णय के लिए पटवारी हल्का व कानूनगो से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है जिससे पत्रावली मे निर्णय पारित हो सके तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, पूर्व की पत्रावली संख्या 170/प्रा./2019 एवं 271/प्रा0/2022, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा द्वारा दिनांक 20.09.2022 को पारित निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 व 839 पर जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नही होने से न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित समझता है अतः पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 यथावता रखा जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि यदि पूर्व मे प्राथी/प्रार्थीगण द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 23.11.2021 की पालना मे राशि जमा करवायी जा चुकी है तो तत्समय जमा करवायी गयी राशि तथा आदिनांक वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार जो राशि बनती है, की अन्तर राशि जमा करवायी जाने के उपरान्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल करवाना सुनिश्चित करें तथा यदि आदिनांक तक पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 की पालना मे यदि राशि जमा नही करवायी गयी तो प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डीएलसी दर अनुसार राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल करवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–170 / 2019

CMS NO:- 2019/000491

दायर दिनांकः 22.10.2019

ठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. शोजीलाल आ0 कल्याण जाति माली निवासी सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. बाबूलाल आ0 बद्रीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सूंसा तहसील नैनवां हाल निवासी पेट्रोल पम्प के सामने श्रीराम चौराहा के पास ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. सूरजमल आ0 रामगोपाल जाति ब्राम्हण निवासी पुराने कार्यालय बैंक ऑफ बडोदा शाखा के पास मेन बाजार करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. दुर्गाशंकर आ0 रामगोपाल जाति ब्राम्हण निवासी सूंसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 23.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1241 / 838 / 06–19, 839 / 03–05 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का खाता एवं हिस्सा है। यह कि उक्त भूमियों में आने जाने के लिए रास्ता ग्राम सूंसा से नहर के सहारे होकर अप्रार्थीगण के खाते के खेत खसरा संख्या 857 / 1085, 1139 / 859, 251 / 1035, 857 / 1086 मे होकर 15 फिट चौडा रास्ता अर्सेदराज से बना हुआ है। यह कि उक्त रास्ता राजस्व नक्शा शीट में तरमीम किया जावे तथा जमाबंदी में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि का डीएलसी दर से राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट क, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के लिए भूमि खसरा संख्या 857 / 1085 रकबा 0.1133 है0 में से रकबा 72 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 144 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से बिन्दु ए से बी तक दर्शाया गया है ।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कैथूदा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता

341

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

या जाना उचित बताया है। ग्राम सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1241/838/06–19, 839/03–05 भूमि पर पहुंचने के लिए ख्खसरा संख्या 857/1085 रकबा 0.1133 है0 में से रकबा 72 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 144 वर्ग गठ्ठा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

परिशिष्ट - "अ"

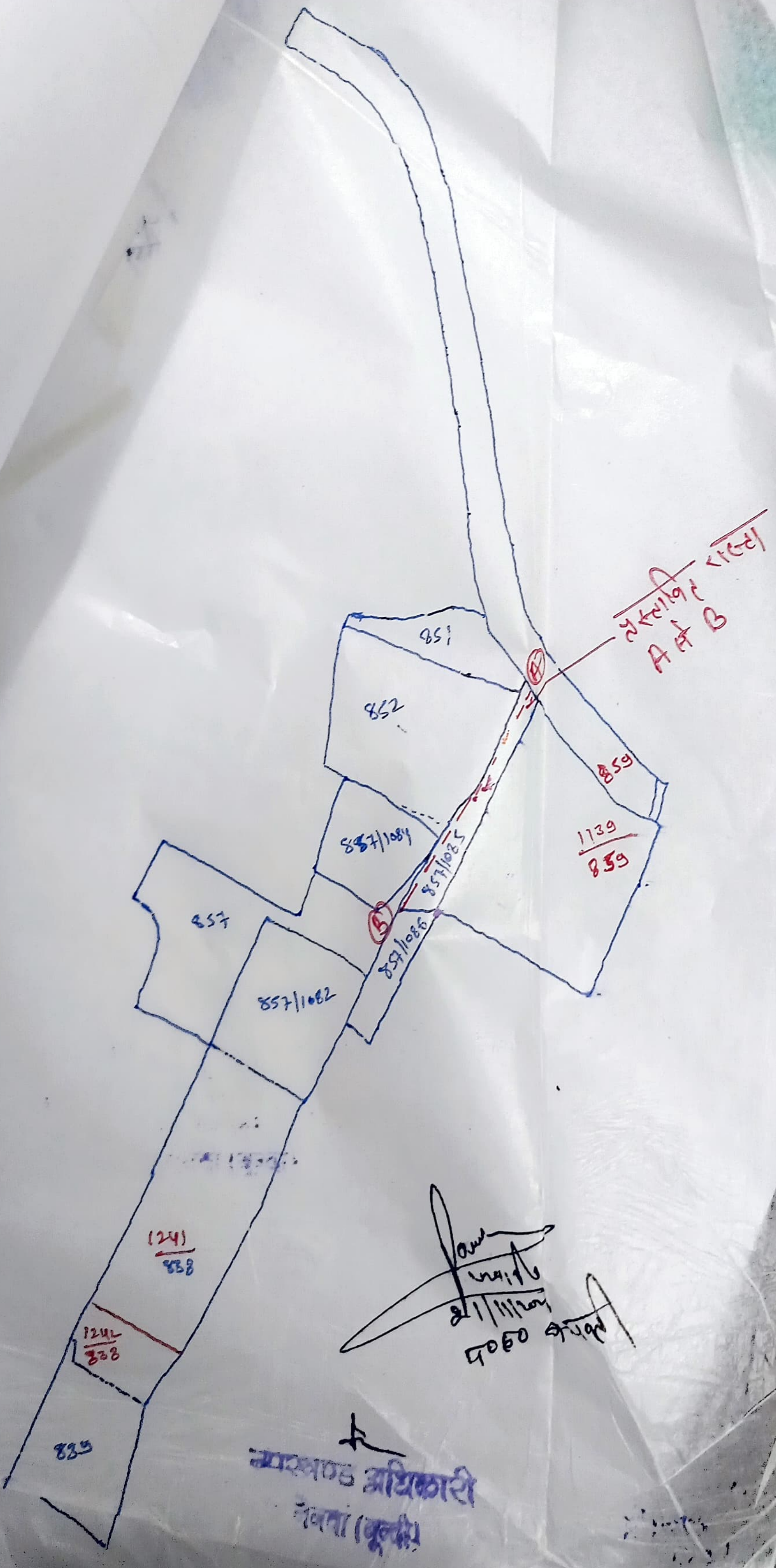

प्रस्तावित रस्ता
A ते B
851
852
859
1139/859
857/1084
857/1085
857
857/1086
857/1082
1241/838
1242/838
839
अधिकारी